हुक्म या ...

तारीख हुक्म	
14.1.20	पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील वादी के प्रतिलिपि प्राप्त। वकील वादी के प्रतिलिपि का जवाब पेश नहीं करना चाहा व अभिभाषक वकील वादी दावा के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं चाहते हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र 07 बंद किया जाता है। R 11 बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण विवादित कृषि भूमि के काश्तकार नहीं है। इसलिए वादीगण को उक्त वाद पेश करने का कोई अधिकार एवं हक नहीं है। वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित है। इसलिए खारिज किया जावे। इसके विपरीत वकील वादी के प्रतिनिधि ने कथन किया कि उक्त भूमि इकरारनामा खरीद की आवंटी लेखूराम से जरिये खरीद के रोज से वादीगण का ही भूमि पर कब्जा काश्त चल रहा है। प्रस्तुत प्रा०पत्र 07 सारहीन है। इसे खारिज फरमाया जावे। R 11 पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। चूंकि जब यह वाद तहरीर किया गया था तब वादीगण तनाजा भूमि के खातेदार काश्तकार थे परन्तु माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा दीवानी वाद संख्या - 06/08 पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10/2/19 एवं इजराय नकल संख्या - 15/19 बीरबलराम बनाम परमाराम में पारित आदेशों की पालना में वसूलीकर्ता के द्वारा तनाजा भूमि का डिक्रीदार/वादीगण बीरबलराम पुत्र चोपूराम नायक साकिन 2 GM तहसील घड़साना वगैरह के नाम से नामांतरकरण दर्ज करते हुए दिनांक 6/11/19 को वादीगण/डिक्रीदार बीरबलराम S/o चोपूराम जाति

नादक वगैरह को कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है। फलत: हस्तगत वाद में कानूनी स्थिति जब वाद पेश किया गया था, उसकी बजाय पूर्णत: परिवर्तित हो चुकी है एवं हस्तगत वाद में प्रतिवादी एवं अन्य प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार बन चुका है। फलत: माननीय न्यायालय की अनुपालना में प्रार्थी सं० -1 एवं अन्य को कब्जा दिलवाने के परिणामस्वरूप हस्तगत वाद में उनके विरुद्ध प्रश्नगत भूमि की कब्जा काश्त में बेजा मदाखलत न करने एवं इंतकाल की कार्यवाही न किये जाने / रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन न किये जाने संबंधी आदेश का न्यायालय के स्तर पर जारी किया जाना मेरे विनम्र मत में न तो विधिक पूर्ण है एवं न ही औचित्यपूर्ण है। फलत: वाद विधि द्वारा वर्जित है एवं हस्तगत वाद का न्यायालय की राय में नामंजूर किया जाना समीचीन है। अत: प्रार्थी सं० -1 द्वारा प्रस्तुत 07 R11 का प्रार्थना पत्र एतद् द्वारा स्वीकार किया जाकर वादपत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो नम्बर से कम हो।

14/01/2020

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2020.01.24 16:50:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: